



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

षष्ठम् सत्र

अंक-12

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020

(चैत्र 6, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने सुकमा जिले के चिन्तागुफा थाने के मिनपा एवं कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री मोहन मरकाम, सदस्य, श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा एक मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया। दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.07 बजे स्थगित होकर 11.15 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के महामारी के रूप में विश्व में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एतिहातन रूप से मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2020 से 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। अतः आज के लिये निर्धारित प्रश्नकाल नहीं होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 की

अनुदान मांगों को मुखबंद (गिलोटिन) के द्वारा पारित किया जाय, साथ ही तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण की कार्यवाही आज ही की जाये तथा शासन की ओर से कल बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2020 को प्राप्त 13 विधेयकों को उनके महत्व एवं उपादेयता को देखते हुए नियम शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित किया जाकर विचार एवं पारण हेतु लिया जाय ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 57 मत पड़े ।

प्रस्ताव के विपक्ष में 14 मत पड़े ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-02)
- (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -
 - (i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 नवम्बर, 2016.
 - (ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 30 जून, 2016.
 - (iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 7 जुलाई, 2017.
 - (iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 फरवरी, 2019.
 - (v) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 14 अगस्त, 2019 तथा
 - (vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 6 फरवरी, 2020
- (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019

- (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019
- (5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17
- (6) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) की धारा 39 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1361/एफ-03/28/विविध/2019/14-2. दिनांक 2 मार्च, 2020
- (7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019
- (8) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक)
- (9) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19
- (10) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(7), दिनांक 12 जुलाई, 2019
- (11) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14

- (12) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18
- (13) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं 2018-19
- (14) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री ने वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2017-2018

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नकाल को स्थगित करने का निर्णय कार्यमंत्रणा समिति नहीं ले सकती तथा शासकीय विधि विषयक कार्य को आज की कार्य सूची में सम्मिलित करते हुये अनूपूरक कार्य सूची जारी की गई है। विधि विषयक कार्यों को बाद में भी लिया जा सकता है।

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 32 ध्यानाकर्षण सूचना को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत सम्मिलित किया गया है। कार्यमंत्रणा समिति में लिये गये निर्णयानुसार ध्यानाकर्षण की सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा सभा के पटल पर रखा माना जायेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

कार्य सूची के पद क्रमांक-4 के उप पद (2) के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी :-

- (1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल,
- (2) श्रीमती अम्बिका सिंहदेव
- (3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू
- (4) श्री देवव्रत सिंह
- (5) श्री धनेन्द्र साहू
- (6) श्री प्रमोद कुमार शर्मा
- (7) सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, शैलेश पाण्डेय
- (8) श्री संतराम नेताम
- (9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा
- (10) श्री देवेन्द्र यादव
- (11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा
- (12) श्री सत्यनारायण शर्मा
- (13) श्री नारायण चंदेल
- (14) श्री शिशुपाल सोरी
- (15) श्री नारायण चंदेल
- (16) श्री सत्यनारायण शर्मा
- (17) श्री संतराम नेताम
- (18) श्रीमती इन्दू बंजारे
- (19) श्री देवेन्द्र यादव
- (20) श्री सौरभ सिंह
- (21) श्री सत्यनारायण शर्मा
- (22) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सुश्री शकुंतला साहू
- (23) श्री नारायण चंदेल
- (24) श्री सौरभ सिंह
- (25) श्री संतराम नेताम
- (26) श्री इन्द्रशाह मण्डावी

- (27) श्री सौरभ सिंह
- (28) श्री सौरभ सिंह
- (29) श्री अजीत जोगी
- (30) डॉ.रमन सिंह
- (31) सर्वश्री संतराम नेताम, कुलदीप जुनेजा
- (32) श्री विकास उपाध्याय

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

- (1) श्री सौरभ सिंह
- (2) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
- (3) श्री दलेश्वर साहू
- (4) श्रीमती छन्नी चन्द्रू साहू
- (5) श्री बघेल लखेश्वर
- (6) श्री अजय चन्द्राकर
- (7) श्री लालजीत सिंह राठिया
- (8) श्री इन्द्रशाह मण्डावी
- (9) श्री पारसनाथ राजवाड़े
- (10) श्री धरमलाल कौशिक
- (11) श्री गुलाब कमरो
- (12) श्रीमती इन्दू बंजारे
- (13) श्री पुन्नूलाल मोहले
- (14) श्री देवेन्द्र यादव
- (15) श्री ननकीराम कंवर

7. बहिष्कार

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अनुपूरक कार्य सूची जारी किये जाने के विरोध में सदन का बहिष्कार किया गया ।

8. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि- “सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- “सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2020-2021 की अवधि हेतु क्रमशः नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

- (1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में आज गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

- (2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा आज अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी ।
- (3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना अपराह्न 2.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
- (4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान आज अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन), विधेयक 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन), विधेयक 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

12. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय व्ययक में स्वीकृत राशि के अनुदान मांगों

पर मुखबंद (गिलोटिन) का प्रस्ताव

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये अनुदान मांगे प्रस्तुत की ।

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

1. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 व अनुसूची इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

3. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पुरःस्थापित किया

4. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020)

श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

5. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन), विधेयक 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

6. महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पुरःस्थापित किया

7. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

8. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

9. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(10) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020
(क्रमांक 12 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12, सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(11) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय
(संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(12) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14
सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(13) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,
2020 (क्रमांक 15 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15, सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(14) छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन्
2020)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16, सन् 2020) पुरःस्थापित किया ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

(15) छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2, सन् 2020) पर विचार किया जाए।

विचार का प्रस्ताव प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 19 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2, सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(16) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(17) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

18. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020)

श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

गुरुवार, 26 मार्च, 2020

खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

19. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने ।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

20. महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

21. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

22. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

23.छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(24) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक12 सन्, 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन्, 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ

**(25) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय
(संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020)**

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ

(26) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 14, सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ

(27) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15, सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15, सन् 2020) पारित किया जाय ।

गुरुवार, 26 मार्च, 2020

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

(28) छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16, सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 16, सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

14. संकल्प

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - " छत्तीसगढ़ राज्य के अतिशेष खद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादन (धान, गन्ना, मक्का आदि) से बायो एथेनॉल बनाने की दीर्घ अवधि न्यूनतम 10 वर्ष हेतु अनुमति एवं पेट्रोल में मिश्रण हेतु धान से बनाये जाने वाले एथेनॉल की दरों का युक्तियुक्त निर्धारण किया जाय ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में नये बायो एथेनॉल संयंत्रों में निवेश बढ़ाया जा सके और राज्य के किसानों को फसलों का प्रतिदान प्राप्त हो । "

संकल्प स्वीकृत हुआ ।

15.नियम 167-क के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

1. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं डॉ.रमन सिंह द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,

- सामान्य प्रशासन विभाग के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 09/2019 दिनांक 02 दिसम्बर 2019,
2. माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा सुनील माहेश्वरी व्यक्ति द्वारा अपने नाम के सम्मुख छाया विधायक लिखे जाने पर प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 10/2019 दिनांक 02 दिसम्बर, 2019
 3. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं नारायण चंदेल द्वारा कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री रविन्द्र चौबे के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 11/2020 दिनांक 24 फरवरी, 2020, तथा
 4. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं नारायण चंदेल द्वारा गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 12/2020, दिनांक 24 फरवरी, 2020,
- को विचारोपरान्त, मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

16.नियम 239- के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचना

- माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि -
1. माननीय सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 08/2019 दिनांक 28 नवम्बर, 2019,
 2. माननीय सदस्य सर्व श्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 13/2020 दिनांक 02 मार्च, 2020
 3. माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा एवं अन्य 18 माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चन्द्राकर के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 14/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020
 4. माननीय सदस्य, श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय एवं अन्य 07 माननीय सदस्यों द्वारा नेशनल हाइवे टोल प्लाजा लखौली आरंग के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 15/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020
 5. माननीय सदस्य, श्रीकुलदीप जुनेजा एवं श्री मोहित राम द्वारा माननीय श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री डमरूधर पुजारी के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 16/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020
 6. माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक एवं अन्य 11 मान.सदस्यों के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना

क्रमांक 17/2020 तथा

7. माननीय सदस्य, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 18/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020,

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

17.सत्र समापन

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की पांचवी विधान सभा का यह षष्ठम् सत्र 24 फरवरी से 1 अप्रैल, 2020 तक आहूत था, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में निर्धारित तिथि से पूर्व आज सम्पन्न हो रहा है । उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह प्रथम अवसर है कि विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराए बिना गिलोटिन के माध्यम से बजट स्वीकृत किया गया ।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी एवं सभी माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप राज्य एवं देश को कोरोना महामारी से मुक्त करने में सामूहिक पहल के लिए संकल्पित रहें । राज्य शासन ने पूर्ण गंभीरता के साथ इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हमारा राज्य एवं देश कोरोना से मुक्त होगा । जहां हम एक ओर कोरोना महामारी के दंश से पीड़ित हैं, वहीं दूसरी ओर विगत दिनों बस्तर में घटित नक्सली घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी ।

सामान्य तौर पर सत्र समापन के अवसर पर आसंदी से संक्षेप में सत्र की समीक्षा रखी जाती है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसका उल्लेख करना मैं प्रासंगिक नहीं समझता । सत्र की अब तक की अवधि में जिन भी महानुभावों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग और सहभागिता रही है, उन सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूँ ।

आइए, हम सब मिलकर इस महामारी की रोकथाम के लिए मिलकर कार्य करें, हमारा यह व्यक्तिगत सहयोग न केवल राज्य और राष्ट्र की सेवा होगी, बल्कि हमारा यह प्रयास सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए दिया गया हमारा अमूल्य योगदान भी होगा ।

जय-हिन्द, जय-छत्तीसगढ़ ।

18. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मण की धुन बजाई गई)

अपराहन 12.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा